

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 118 / 12-1 , गोपेश्वर, दिनांक 08/7 2021।

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-ट्वींग तक मोटर मार्ग हेतु 3.97 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/138/2016/एफ0सी0/1317 दिनांक 22.09.2020.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, के अनुपालन में इस कार्यालय की पत्र सं0 1110/12-1 दिनांक 22.09.2020 से मांग पत्र प्रेषित की गयी, जिसके क्रम में आपकी पत्र सं0 1138/24 एल0ए0 दिनांक 28.06.2021 से वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनः मांग पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2021-22 में संशोधित दरों के अनुसार मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

- 1- शर्त सं0 3(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल 7.94 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कुजौ मैकोट खसरा संख्या 1877 में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष के अनुसार प्रति रु0 370902.00 की दर के अनुसार 7.94 है0 x 370902.00 = रु0 2944961.88 या धनराशि रु0 29,44,962.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा में जमा की जायेगी
2. शर्त सं0 02 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार देय 3.97 है0 दर 8,45,000.00= रु0 33,54,650.00 जमा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये का कष्ट करे। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।